

**कार्यालय, चुनाव अधिकारी एवं
मुख्य अभियन्ता**

पत्रांक:

दिनांक.....

आदेश

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करवाने, प्रकाशित कराने, दावे/आपत्तियां प्राप्त कर निपटारा करने तथा निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन कराने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं	अधिकारी का नाम	पद	खण्ड का नाम	समितियों का विवरण जिसकी निर्वाचक नामावली तैयार कराई जानी है
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर

चुनाव अधिकारी एवं

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

- मुख्य चुनाव अधिकारी

हस्ताक्षर

चुनाव अधिकारी एवं

मुख्य अभियन्ता

कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पत्रांक:

दिनांक.....

आदेश

निम्नांकित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लिखितसमिति की मतदाता सूचियाँ तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने तथा सूचियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों और आपत्तियों का निपटारा कर उन्हें संशोधित करते हुए अंतिम रूप देने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं	अधिकारी का नाम पद नाम तथा कार्यालय	पैतृक नहर का नाम जिससे कुलाबे निकले हैं (अल्पिका/रजबहा/शाखा)	समितियों का विवरण जिसकी निर्वाचन नामावली बनाई जानी है
1	2	3	4

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

खण्ड

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मुख्य चुनाव अधिकारी
2. चुनाव अधिकारी/उपचुनाव अधिकारी
3. सम्बन्धित अधिकारी

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

खण्ड

**कार्यालय, निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**

पत्रांक:

दिनांक.....

आदेश

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के अधीन निम्नांकित कार्मियों को उनके नामों के समक्ष उल्लिखित
.....समिति की मतदाता सूचियाँ तैयार करने एवं उसके पर्यवेक्षण के साथ दावा/आपत्तियां प्राप्त करने हेतु संगणक एवं पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम	पर्यवेक्षक का नाम व पद	कार्यालय का पता	संगणक का नाम व पद	कार्यालय का पता	समितियों का विवरण जिनकी निर्वाचन नामावली तैयार की जानी है
1	2	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. चुनाव अधिकारी/उपचुनाव अधिकारी
2. सम्बन्धित कर्मचारी

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....

संगणक/पर्यवेक्षक का परिचय-पत्र

श्री.....,जिसके हस्ताक्षर का नमूना नीचे दिया है, को सिंचाई विभाग के खण्डकी प्रणालीसे निकले कुलाबा संख्याके सभी उप कमाण्डों की मतदाता सूचियों को बनाने अथवा पुनरीक्षण के लिए संगणक/पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यह परिचय-पत्र दिनांकसे दिनांक.....तक वैध है।

संगणक/पर्यवेक्षक के
हस्ताक्षर का नमूना

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
सील एवं मोहर

दिनांक.....

मतदाता प्रपत्र-1

संख्या.....

1. कुलाबा नम्बर/पैतृक नहर का नाम
2. भू-धारक/संरक्षक का नाम
3. पिता का नाम
4. ग्राम/तहसील/जिला.....
5. भूखण्ड संख्या जिस पर
- भू-धारक का नाम दर्ज है।
6. भू-धारक की आयु
- (जनवरी, तक)

संगणक के हस्ताक्षर

भू-धारक का हस्ताक्षर/अंगूठा

.....

.....

भू-धारक की प्रति

संख्या.....

1. कुलाबा नम्बर/पैतृक नहर का नाम
2. भू-धारक/संरक्षक का नाम
3. पिता का नाम
4. ग्राम/तहसील/जिला.....
5. भूखण्ड संख्या जिस पर
- भू-धारक का नाम दर्ज है।
6. भू-धारक की आयु
- (जनवरी, तक)

संगणक के हस्ताक्षर

.....

शासनादेश संख्या-759 दिनांक 24.08.2012

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ० प्र०,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
एन०आई०सी०,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या: 759/1-18-2012/क०सेल/13/2005

दिनांक 24 अगस्त 2012

विषय: उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समितियों के निर्वाचन हेतु भू-स्वामियों की सूची।

महोदय,

अध्यक्ष, पैक्ट एवं सचिव सिंचाई, उ० प्र० वॉ० रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना, लखनऊ के पत्र संख्या: 2139/पिम/पैक्ट/फेस-2/ई०-1(A), दिनांक 04-8-2012 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम-2009 जो प्रदेश के समस्त जनपदों में 01 जनवरी 2011 से लागू है, के अन्तर्गत नहर के प्रत्येक स्तर यथा-कुलावा, अल्पिका, रजबहा आदि पर जल उपभोक्ता समितियों का गठन निर्वाचन के माध्यम से किये जाने हेतु प्रदेश के भू-स्वामियों की सूचना तहसील एवं ग्रामवार निम्नलिखित प्रपत्र पर उपलब्ध कराने हेतु परिषद स्तर से एनआईसी को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है-

क. सं.	जनपद का नाम	तहसील का नाम	खसरा संख्या	भू-स्वामी/ भू-स्वामियों के नाम	भू-स्वामी के पिता का नाम	खसरा का क्षेत्रफल (हे० में)
--------	-------------	--------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

अतः उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि प्रश्नगत सूचना डाटाबेस से जनरेट की जा सकती हो तो प्रदेश के खसरा जनपदों के जिला सूचना विभाग अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त पत्र में उक्त प्रपत्र पर जिलाधिकारियों के माध्यम से संबंधित को उपलब्ध करा दी जायें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(विशाल भारद्वाज)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष, पैक्ट एवं सचिव, सिंचाई, उ० प्र०, वॉ० सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना, वाल्मी भवन, उत्तरेटिया, लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 04-8-2012 के क्रम में।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को संलग्नक सहित।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(विशाल भारद्वाज)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।

भू-धारकों की सूची
(जाँच प्रमाण-पत्र)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि भू-धारकों की सूची की 10 प्रतिशत जांच मेरे (सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) द्वारा कर ली गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

जांच का विवरण

पैतृक नहर का नाम	कुल कुलाबों की संख्या	कुलाबा संख्या जिसकी जाँच की गई	कुलाबा उपकमाण्ड संख्या जिसकी जाँच की गई

दिनांक

हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम
(सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी)

जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

कुलाबा उप-कमाण्ड निर्धारण
(जाँच प्रमाण-पत्र)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि कुलाबा सब-कमाण्ड के निर्धारण (कमाण्ड मानचित्र पर) की 10 प्रतिशत जांच मेरे (सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) द्वारा कर ली गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

जांच का विवरण

पैतृक नहर का नाम	कुल कुलाबों की संख्या	कुलाबा संख्या जिसकी जाँच की गई

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

मतदाता सूची प्रपत्र-2

1. खण्ड का नाम
2. पैतृक नहर का नाम
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रम संख्या
4. मतदान स्थल का नाम व क्रम संख्या

कुलाबा संख्या

कुलाबा सब कमाण्ड संख्या.....

क्रं सं०	मतदाता का नाम	पिता का नाम	ग्राम/तहसील/जिला	भू-खण्ड संख्या	मतदाता की आयु
1	2	3	4	5	6

कुलाबा संख्या

कुलाबा सब कमाण्ड संख्या.....

क्रं सं०	मतदाता का नाम	पिता का नाम	ग्राम/तहसील/जिला	भू-खण्ड संख्या	मतदाता की आयु
1	2	3	4	5	6

..

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

कार्यालय चुनाव अधिकारी
एवं मुख्य अभियन्ता

कार्यक्रम-सारिणी

क्र०सं०	कार्यक्रम	अवधि (मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित)
1	कुलाबा समिति की प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली बनाने अथवा पूर्व निर्मित निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति	
2	प्रशिक्षण देने की अवधि	
3	संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि	
4	निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपि तैयार करना	
5	निर्वाचक नामावलियों की प्रेस में छपाई	
6	निर्वाचक नामावली के आलेख्य (अनन्तिम) का प्रकाशन एवं निरीक्षण।	
7	दावे और अपत्तियां दाखिल करने की अवधि	
8	दावे और आपत्तियों का निस्तारण	
9	पूरक सूचियों की तैयारी और छपाई	
10	निर्वाचक नामावली का जन-सामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	

नोट:- अनन्तिम प्रकाशन एवं अन्तिम प्रकाशन (क्रम सं० 6 से क्रम सं० 10 तक) के मध्य 30 दिन का समय निर्धारित है।

हस्ताक्षर
चुनाव अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता
.....

प्रतिलिपि-

1. मुख्य चुनाव अधिकारी
2. निदेशक, पिम
3. जिलाधिकारी
4. खण्डीय चुनाव अधिकारी
5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
6. सम्बन्धित जनपदों के समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु

हस्ताक्षर
चुनाव अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता
.....

कार्यालय खण्डीय चुनाव अधिकारी
एवं अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक

दिनांक

मतदान केन्द्र/स्थल का प्रकाशन

..... खण्ड की समितियों के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों/स्थलों निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया गया है। निर्धारित अनुसूची पर आपत्तियां दिनांकतक..... कार्यालय पर तक दर्ज कराई जा सकती है।

अनुसूची

क्र०सं०	मतदान केन्द्र स्थल का नाम समिति का विवरण जिस हेतु मतदान केन्द्र/स्थल का निर्धारण किया गया है

हस्ताक्षर

खण्डीय चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. चुनाव अधिकारी
2. उपचुनाव अधिकारी
3. जिलाधिकारी

संगणक के लिए सामान्य अनुदेश

1. गणना कार्य के लिए सौंपे गए क्षेत्र का विस्तार भली-भांति समझ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि आप उस क्षेत्र के बाहर गणना कार्य नहीं कर रहे हैं और न उस क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ ही रहे हैं।
2. संगणक निम्नलिखित सामग्री लेकर कार्य-क्षेत्र में जाएं :-
 - (क) मतदाता प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-5)
 - (ख) बाल पेन
 - (ग) स्टाम्प-पैड-हस्ताक्षर न कर सकने वाले भू-धारकों का अंगूठा निशानी लेने हेतु।
 - (घ) सम्बन्धित कुलाबा का कमाण्ड मानचित्र।
 - (ङ) परिचय-पत्र
 - (च) भू-धारकों की सूची
 - (छ) दफती
3. संगणक अपने क्षेत्र के प्रत्येक भू-धारक के पास अवश्य जाएं।
4. यदि कोई भू-धारक दिन में ड्यूटी पर या काम पर जाने के कारण न मिले तो ऐसे भू-धारक के पास जल्दी प्रातः अथवा सूर्यास्त के बाद इस प्रकार जाएं कि भू-धारक के ड्यूटी से लौट आने की सम्भावना हो।
5. मतदाता प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-5) में केवल अर्ह भू-धारक का नाम ही दर्ज करें।
6. यदि कोई भू-धारक अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो उसका नाम शामिल कर लिया जाय।
7. लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अंकित कर लिया जाय भले ही वे गणना के समय वहां न रह रहे हों, बशर्ते वे सम्बन्धित क्षेत्र के भू-धारक हों।
8. एक भू-धारक हेतु एक मतदाता प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-5) भरा जाएगा।
9. मतदाता प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-5) की प्रविष्टियों की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट) से अवश्य बना ली जाय।
10. मतदाता प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-5) पर भू-धारक या उसकी अनुपस्थिति में किसी उपलब्ध वयस्क सदस्य के स्पष्ट नाम सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जायें।
11. मतदाता प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-5) पर सूचना देने वाले भू-धारक के हस्ताक्षर कराने के पश्चात् संगणक अपना हस्ताक्षर भी करेंगे और स्पष्ट नाम लिख देंगे। तब मतदाता प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-5) की दूसरी प्रति भू-धारक को दें और पहली प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवा लें।
12. भू-धारक को यह समझा दिया जाय कि मतदाता प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-5) सुरक्षित रखें।
13. अपना काम नियत समय के भीतर पूरा कर लें और काम पूरा होने पर सभी अभिलेख सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दें।
14. क्षेत्र का गणना कार्य पूरा कर पर्यवेक्षक को ऐसे भू-धारकों की कारण सहित सूची देंगे जिनकी गणना नहीं हो सकी है ताकि पर्यवेक्षक पुनः ऐसे भू-धारकों की जांच कर सकें।
15. क्षेत्र का गणना कार्य पूरा हो जाने पर नियत प्रारूप में प्रमाणित करेंगे कि अपने पूरे क्षेत्र का गणना कार्य कर लिया है और त्रुटियों के लिए उत्तरदायी होंगे।
16. यह सुनिश्चित कर लें कि जिस कुलाबा समिति के निर्वाचन क्षेत्र की गणना की गई है उनमें कोई त्रुटि तो नहीं और एक कुलाबा के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों की गणना करने के पश्चात् ही दूसरे कुलाबे की गणना हेतु जाएं।

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली की जाँच का प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि घर-घर जांच के दौरानके कुलाबा संख्या.....की उपकमाण्ड संख्या.....से.....तक के गणना कार्य की 10 प्रतिशत/5 प्रतिशत जांच मेरे (पर्यवेक्षक/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) द्वारा कर ली गयी है।

उक्त निर्वाचन क्षेत्र में गणना कार्य सही रूप से किया गया है और कोई भाग छूटा नहीं है। गणना की जांच का विवरण निम्नवत् है-

जांच का विवरण

पैतृक नहर का नाम	कुलाबा संख्या	कुलाबा उपकमाण्ड संख्या

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति की निर्वाचक नामावली की जाँच का प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ किकी निर्वाचक नामावली कीप्रतिशत जांच मेरे (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) द्वारा कर ली गयी है।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

संगणक का प्रमाण-पत्र
(संगणक द्वारा दिया जाएगा)

1. संगणक का नाम.....
2. अधिकारिक पद नाम और कार्यालय एवं निवास का पता.....
3. खण्ड का नाम.....
4. सौपे गए कुलाबों की संख्या.....
5. कार्य को प्रारम्भ करने की तारीख.....
6. कार्य को पूरा करने की तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि—

(1) मुझे उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में घर-घर जाकर गणना करने के लिए संगणक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(2) गणना के लिए मुझे सौपे गए भू-धारकों की गणना कर ली गई है।

(3)भू-धारकों की अनुपलब्धता के कारण मतदाता प्रपत्र-1 नहीं भरवाया जा सका, जिसकी सूची मैंने अपने पर्यवेक्षक को जांच के लिए भी दे दी है।

(4) मैंने सौपे गए सम्पूर्ण क्षेत्र में घर-घर जाकर गणना कार्य किया है। मैं किसी भी अतिरिक्त नाम के छूट जाने और किसी भी अतिरिक्त नाम के सम्मिलित हो जाने के लिए जिम्मेदार हूँ।

यहां कुल संख्या लिखें।

क्र०	पैतृक नहर का नाम	कुलाबों की कुल संख्या	मतदाताओं की कुल संख्या
	(1)	(2)	(3)

स्थान :-

(हस्ताक्षर)

दिनांक :-

नाम संगणक.....

नोट:- गणना कार्य समाप्त हो जाने के बाद उक्त प्रमाण-पत्र सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिया जाना चाहिए।

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार हो जाने का उप चुनाव अधिकारी का प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल.....कुलाबो में सेकुलाबों की निर्वाचक नामावली अनन्तिम प्रकाशन हेतु तैयार हो गई है तथा इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति मेरे कार्यालय में प्राप्त हो गई है।

उपचुनाव अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियन्ता

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा की निर्वाचक नामावली तैयार हो जाने का उप चुनाव अधिकारी का प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल..... अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा में से अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा की निर्वाचक नामावली प्रदर्शन हेतु तैयार हो गई है तथा इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति मेरे कार्यालय में प्राप्त हो गई है।

उपचुनाव अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियन्ता

**कार्यालय
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**

पत्रांक:

दिनांक.....

सूचना

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली के आलेख्य का अनन्तिम प्रकाशन

सेवा में,

.....की कुलाबा समितिके निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकगणों को

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन नियमावली, 2010 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार हो गयी है और उसकी एक प्रति कार्यालय समय में मेरे कार्यालय में और ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या सम्मिलित किसी नाम के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या किसी प्रकार के कोई विवरणों के सम्बन्ध में कोई अपील हो तो उसे..... तक या उससे पूर्व प्रपत्र-3,4 या 5 में, जो समुचित हो, दाखिल किया जाय।

प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति को मेरे कार्यालय में या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपर्युक्त दिनांक तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिनांक.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पता.....

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. चुनाव अधिकारी
1. उपचुनाव अधिकारी
2. जिलाधिकारी
3. जनप्रतिनिधि
4. ग्राम प्रधान

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पता.....

प्रपत्र-3

नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा/आवेदन-पत्र

सेवा में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/ अधिकारी खण्ड/पैतृक नहर/कुलाबा संख्या

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ/करती हूँ कि मेरा नाम कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए।

मेरा पूरा नाम..... मेरे पिता/माता/पति का नाम..... है तथा मेरे

भूखण्ड की संख्याहै तथा निम्न कुलाबा/नहर से जल प्राप्त करता/करती हूँ।

पैतृक नहर का नामकुलाबा संख्या.....

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि,

1. मेरा भूखण्ड उक्त कुलाबा कमाण्ड में है;
2. मेरी आयु गत पहली जनवरी को.....वर्ष.....मास थी।
3. मैं ऊपर दिए गए भू-खण्ड का भू-धारक हूँ।
4. मेरा नाम दूसरी कुलाबा संख्या..... की निर्वाचक नामावली में अर्थात क्रम संख्या.....पर त्रुटिवश सम्मिलित हो गया है जिसे निकाल देना चाहिए।
5. मेरा नाम अनर्हता अर्थात.....के कारण काट दिया गया था और ऐसी अनर्हता.....के आदेश.....दिनांक.....द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि 19आवेदन-पत्र में लिखित बात मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान

मैं.....कुलाबा संख्याकी निर्वाचक नामावली जिसमें दावेदार ने सम्मिलित होने के लिए आवेदन किया है, में सम्मिलित निर्वाचक हूँ अर्थात क्रम संख्या.....पर मैं निर्वाचक के रूप में सम्मिलित हूँ।

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि 19आवेदन पत्र में लिखित बातें मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

प्रपत्र-4

कुलाबा समिति की नामावली के किसी प्रविष्टि के विवरण में आपत्ति

सेवा में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

खण्ड का नाम

पैतृक नहर

कुलाबा संख्या.....

उप कमाण्ड संख्या

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे सम्बन्धित प्रविष्टि, जो निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या.....
पर.....इस रूप में है, शुद्ध नहीं है। इसे इस प्रकार शुद्ध किया जाय जिससे वह निम्नलिखित रूप में
 पढ़ी जाए :-

.....

.....

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि 20 आवेदन पत्र में लिखित बातें मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के
 अनुसार सही हैं।

सीन.....

..... निर्वाचक के

दिनांक.....

हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान

मैं उस कुलाबा समिति की उप कमाण्ड संख्या के निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में,
 जिसमें कि आवेदक सम्मिलित है, अर्थात् क्रम संख्या.....पर सम्मिलित निर्वाचक हूँ। मैं सत्यापित
 करता/करती हूँ कि 20 आवेदन पत्र में लिखित बात मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

प्रपत्र-5

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नाम पर आपत्ति

सेवा में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

खण्ड का नाम

पैतृक नहर का नाम.....

कुलाबा संख्या

उप कमाण्ड संख्या.....

महोदय,

..... समिति की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या.....पर सम्मिलित.....

.नाम पर मैं निम्नांकित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ:-

- (1) उक्त व्यक्ति की लगभगको मृत्यु हो गयी है।
- (2) उक्त व्यक्ति इस परिक्षेत्र का भू-धारक नहीं है।
- (3) उक्त व्यक्ति ने सुसंगत दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।
- (4) उक्त व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है।
- (5) उक्त व्यक्ति विकृत चित्त का है, और उसके ऐसा होने की.....के न्यायालय.....से दिनांक.....
.....आदेश द्वारा घोषणा विद्यमान है।
- (6) उक्त व्यक्ति.....के न्यायालय के दिनांक.....के आदेश द्वारा निर्वाचन अपराध के कारण मतदान से अनर्हित किया गया है,
- (7)(कोई अन्य कारण)

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरिलिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

मैं कुलाबा समिति के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है :-

पूरा नाम..... पिता/पति/माता का नाम.....

.....

कुलाबा कमाण्ड/उप कमाण्ड संख्या.....

क्रम संख्या.....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

डाक का पता.....

दिनांक.....19.....

मैं उसी कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ, जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है, अर्थात् क्रम संख्या.....पर है। मैं सत्यापित करता/करती हूँ 21कि21 आपत्ति में लिखित बातें मेरे सर्वोत्तम ज्ञानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

कुलाबा समिति की मतदाता सूची के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावा या आपत्ति की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो ग्राम.....
.....का/की निवासी है, का (अल्पिका/रजबहा/शाखा) से निकले कुलाबा संख्या.....
.....के उपकमाण्ड.....में नाम सम्मिलित किए जाने के विषय में/सम्मिलित किए जाने पर
आक्षेप के विषय में/प्रविष्टि सुधार करने के विषय में/अन्यत्र रखे जाने के विषय में आवेदन प्राप्त हुआ।

2- आवेदन की सुनवाई सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा स्थान
पर तारीख..... को समय 10.00 बजे प्रातः की जाएगी। कृपया उपरोक्त स्थान, तारीख एवं समय
पर आवश्यक साक्ष्य या जानकारी के साथ उपस्थित हो।

स्थान.....

दिनांक.....

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण

अधिकारी के हस्ताक्षर

पद नाम.....

नोटिस

सेवा में,

.....

प्रार्थी/प्रार्थी का अभिकर्ता

प्रतिपक्षी

सूचित किया जाता है कि खण्ड.....के खण्ड/तहसील.....की कुलाबा संख्या...
.....का उपकमाण्ड संख्या.....की निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में श्री.....के द्वारा आपके नाम की
प्रविष्टि को सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई है जिसकी सुनवाई सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के समक्ष दिनांक.....को.....(स्थान).....समय पर होगी।

आपको निर्देश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्य के साथ, जिसे आप प्रस्तुत करना चाहे,
उपस्थित होने का कष्ट करें।

निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किए जाने पर जो आपत्ति की गयी है उसकी एक प्रति साथ
में भेजी जाती है।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण

अधिकारी

सूचना प्राप्त हुई

+ आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई

जिस व्यक्ति को नोटिस तामील की जाएगी उसके हस्ताक्षर

+ यदि सूचना दावेदार या आपत्तिकर्ता या इनमें से किसी के अभिकर्ता पर तामील की जाय इसे निकाल
दिया जाय। सूचना तामील करने वाले व्यक्ति की रपट।

दावा और आपत्तियों की सूची के लिए प्रपत्र

खण्ड

पैतृक नहर का नाम.....

कुलाबा संख्या.....

दावा और आपत्तियों की सूची

दावा आपत्ति की क्रम सं०	दाखिल करने का दिनांक	आवेदक का नाम	आवेदन पत्र का प्रकार अर्थात् प्रविष्टि के सम्मिलित करने, शुद्ध करने या निकालने के लिए	विनिश्चय का दिनांक	परिणाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय का प्रारूप

क्रमांक :-

स्थान :-

दिनांक :-

श्री.....

पुत्र श्री.....

निवासी.....

विषय :- श्री.....पुत्र श्री..... का नामके कुलाबा संख्या..
.....की उपकमाण्ड संख्या.....से निर्वाचक के तौर पर हटाए जाने के
सम्बन्ध में।

मेरे समक्ष श्री/कु०/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी ग्राम..... खण्ड.....द्वाराके कुलाबा संख्या.....
.....की उपकमाण्ड संख्या.....से उपरोक्त श्री.....पुत्र श्री.....
का नाम हटाए जाने सम्बन्धी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसमें उपरोक्त श्री.....को भी सुनवाई का समुचित
अवसर देते हुए मामले की सम्यक् जांचोपरान्त मैंने अपने आदेश दिनांक.....में उपरोक्त श्री पुत्र श्री.
.....का नामके कुलाबा संख्या.....की उपकमाण्ड संख्या.....
.....से निर्वाचक के रूप में हटाए जाने/यथावत रखे जाने का विनिश्चय किया है।

अतः एतद्वारा इस आशय की सूचना श्री.....को मेरे आदेश दिनांक.....
.....की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

हस्ताक्षर

नाम.....

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

खण्ड.....

जनपद.....

कार्यालय, निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पत्रांक:

दिनांक.....

सूचना

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की सूचना

सर्व साधारण को सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची संशोधनों सहित उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन नियमावली, 2010 के अनुसार तैयार कर ली गई है और उक्त नामावली की एक प्रति प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(पता).....

सीन.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. चुनाव अधिकारी
2. उपचुनाव अधिकारी
3. जिलाधिकारी
4. जनप्रतिनिधि
5. ग्राम प्रधान

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(पता).....

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध की जाने वाली अपील का प्रारूप

स्थान.....

तारीख.....

सेवा में,

अपील प्राधिकारी एवं उप चुनाव अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता

.....

विषय:- सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील।

महोदय,

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा/ खण्डकीसे निकले कुलाबा संख्या
के उप कमाण्डसे सम्बन्धित विनिश्चय तारीख.....के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत
 करता हूँ/करती हूँ। विनिश्चय (आदेश) की प्रतिलिपि संलग्न है।

2-सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष मैंने निम्नांकित आपत्ति या दावा किया था :-

.....

3-मेरी अपील के आधार निम्नांकित है :-

(1).....

(2).....

4-निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तथ्यों27पर27पुनः विचार करते हुए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विनिश्चय (आदेश) को निरस्त किया जाय तथा मेरा दावा/आपत्ति स्वीकार की जाय।

यदि अपीलार्थी कुलाबा समिति का मतदाता हो तो हस्ताक्षर (अपीलार्थी).....

मतदाता सूची में उसका विवरण

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

..... पता.....

मतदाता सूची में अनक्रमांक.....

घोषणा

मैं ऊपर वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त कथन सत्य है।

संलग्नक-सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश की

प्रतिलिपि

तारीख.....

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)

नाम.....

अपील प्राधिकारी के उपयोग हेतु

यह अपील आज तारीख.....को मुझे श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा मेरे कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

इसमें सुनवाई के लिए तारीख.....निर्धारित की गई तथा उसकी सूचना अपीलार्थी को दी गई।

हस्ताक्षर

अपील प्राधिकारी.....

अपील प्राधिकारी के निर्देश का प्रारूप

क्रमांक.....

स्थान.....तारीख.....

सेवा में,

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

खण्ड.....

विषय:- सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील में किए गए विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची में संशोधन के बावत निर्देश।

मेरे समक्ष श्री/कु0/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी

श्री.....निवासी ग्राम..... खण्ड.....द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,की कुलाबा संख्याकी कुलाबा समितिके आदेश दिनांक.....के विरुद्ध अपील दायर की गयी थी।

मामले में समुचित जाँच करने के पश्चात मैंने तारीख.....को जो आदेश पारित किया, उसे प्रभावी करने के लिए सम्बन्धित कुलाबा समिति की मतदाता सूची में निम्नांकित संशोधन किया जाय।

.....
.....
.....

संलग्नक-अपील में पारित आदेश तारीख.....सहित प्रकरण की मूल नत्थी।

हस्ताक्षर

अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

हस्ताक्षर

अपीलीय अधिकारी

कार्यालय चुनाव अधिकारी
एवं मुख्य अभियन्ता

कार्यक्रम-सारिणी

.....समिति की निर्वाचक नामावली बनाने का कार्यक्रम
(अल्पिका/रजबहा/शाखा)

क्र०सं०	कार्यक्रम	अवधि
1	निर्वाचक नामावली बनाने हेतु, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र का विभाजन	
2	निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपि तैयार करना।	
3	निर्वाचक नामावलियों की जाँच करना।	
4	निर्वाचक नामावली प्रकाशन व वितरण।	

हस्ताक्षर
चुनाव अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता

.....

प्रतिलिपि-

1. मुख्य चुनाव अधिकारी
2. निदेशक, पिम
3. जिलाधिकारी
4. खण्डीय चुनाव अधिकारी
5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

कार्यालय, चुनाव अधिकारी एवं
मुख्य अभियन्ता.....

पत्रांक:

दिनांक.....

आदेश

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने, जाँच करने एवं प्रकाशन करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद	खण्ड का नामसमिति का विवरण जिनकी निर्वाचन नामावली तैयार की जानी है
1	2	2	3	6

हस्ताक्षर
चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मुख्य चुनाव अधिकारी।
2. जिलाधिकारी।
3. सम्बन्धित कार्मिक।

हस्ताक्षर
चुनाव अधिकारी

कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पत्रांक:

दिनांक.....

आदेश

निम्नांकित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख उल्लिखित समिति की मतदाता सूचियों तैयार करने, जाँच करने हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के साथ उक्त कार्य करने हेतु कर्मचारियों को सहायक निर्वाचक अधिकारी से सम्बद्ध किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/अधिकारी का नाम, पद व कार्यालय	सम्बद्ध कर्मों का नाम व पद	पैतृक नहर का नामसमितियों का विवरण जिनकी निर्वाचन नामावली तैयार की जानी है
1	2	2	3	6

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. चुनाव अधिकारी।
2. उप चुनाव अधिकारी।
3. जिलाधिकारी।

हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति मतदाता सूची प्रपत्र

1. खण्ड का नाम
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रम संख्या
3. मतदान स्थल का नाम व क्रम संख्या

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका का नाम.....

रीच का नाम

क्र० सं०	मतदाता का नाम	पिता का नाम	ग्राम/तहसील/जिला	कुलाबा संख्या (मतदाता जिस कुलाबा समिति का सदस्य है)	मतदाता की आयु
1	2	3	4	5	6

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

रजबहा समिति मतदाता सूची प्रपत्र

1. खण्ड का नाम
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रम संख्या
3. मतदान स्थल का नाम व क्रम संख्या

रजबहा का नाम.....

रीच का नाम

क्र० सं०	मतदाता का नाम	पिता का नाम	ग्राम/तहसील/ जिला	समिति का नाम (जिसका मतदाता सदस्य है)	मतदाता की आयु
1	2	3	4	5	6

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

शाखा समिति मतदाता सूची प्रपत्र

1. खण्ड का नाम
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रम संख्या
3. मतदान स्थल का नाम व क्रम संख्या

शाखा समिति का नाम.....

रीच का नाम

क्र० सं०	मतदाता का नाम	पिता का नाम	ग्राम/तहसील/जिला	समिति का नाम मतदाता जिसका सदस्य है।	ग्राम/तहसील जिसका सदस्य है	मतदाता की आयु
1	2	3	4	5		6

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी